

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

कार्यालय आदेश संख्या.....136...../2026

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 270(24) दिनांक 10.02.2025 द्वारा प्राप्त रूपान्तरित/चिकित्सीय अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में श्री अशोक कुमार, मुख्य अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, सुपौल को बिहार सेवा संहिता के नियम-232 एवं 234 के अन्तर्गत दिनांक 09.03.2026 से 01.05.2026 तक कुल 54 (चौवन) दिनों की रूपान्तरित/चिकित्सीय अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है। इसकी गणना अर्द्धवैतनिक अवकाश में 108 दिनों की होगी।

इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि०(02) 24 / 2025 / नि०सं०.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, सुपौल/मुख्य अभियोजक, सुपौल/प्रभारी पदाधिकारी वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/श्री अशोक कुमार, मुख्य अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
उप सचिव।

ज्ञापांक अ०नि० (02) 24 / 2025 / नि०सं०.....1312.....

दिनांक.....15/5/26.....

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/5/26
उप सचिव।